न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 149/2019

रामचन्द्र पुत्र सूरजभान जाति ब्राहमण निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू

................वादी

बनाम

1. मनभावती पत्नी रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी पोह की ढाणी तन ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू
2. यादराम पुत्र प्रभु दयाल
3. सत्यपाल पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी दुलोठ तहसील व जिला महेन्द्रगढ़
4. सुमेर पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना
5. राज सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू

.......प्रतिवादीगण

दावा–घोषणात्मक अर्न्तगत धारा 88,राज0 टिनेन्सी एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक : 6/12/21

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से पेश है–

1. यह कि वाके ग्राम ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0 स्थित ख.न. 14 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, उदमी पुत्र रणजीत हिस्सा 1/3, चन्दगीराम पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा 1/3, श्योदान, सुमेर पुत्रान चुन्नीलाल ब0हि0ब0 2/3 दर हिस्सा 2/3 सम्वत 2026 से 2029 है।
2. यह कि उदमीराम की मृत्यु के बाद लोकराम ,पोकर सिंह, ओमप्रकाश पुत्रान उदमीराम के नाम इन्तकाल पुर हो गया तथा पौकर सिंह,ओमप्रकाश बेऔलाद फौत हो गये व उनका हिस्सा उदमीराम के पुत्र लोकराम की खातेदारी में दर्ज हो गया । क्योंकि लोकराम उनका सगा भाई था।
3. यह कि लोकराम पुत्र उदमीराम ने वाके ग्राम ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू स्थित गत ख.न. 14 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि का बेचान 3000 रू के बदले वादी को दिनांक 22.03.19[illegible] [illegible]रिये विकय पत्र कर दिया। बेचान के आधार पर सहवन से वादी के [illegible] नहीं हुआ। परन्तु बेचान की तारीख से लेकर आज तक विवादित भूमि के 1 बीघा 16 बिस्वा पर काबिज [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:36:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

4. यह कि बेचान के बाद भू प्रबंधक विभाग की कार्यवाही चालू हो गई। भू प्रबंधक विभाग ने गत ख.न. 14 के हाल ख.न. 100 व 102 बनाये है और उसमें पुनःलोकराम ,पोकर सिंह, ओमप्रकाश पुत्रान उदमीराम हिससा 1/3 दर्ज कर दिया शेष खातेदारों का हिस्सा जैसा था वैसा ही बना दिया। वादी का नाम बेचान के बाद अंकित नहीं किया गया ।

5. यह कि लोकराम ने शेष बची हुई भूमि 1/9 हिस्से का बेचान ख.न. 100 व 102 वाके ग्राम ढाणी भालोठ वादी की पत्नी मनभावती पत्नी रामचन्द्र जाति ब्राहमण के हक में दिनांक 22.12.2008 को कर दिया और बेचान के बाद 1/9 हिस्से का रिकार्ड वादी की पत्नी मनभावती के नाम बन गया।

6. यह कि विवादित ख.न. 100 व 102 में मृतक पोकर सिंह व ओमप्रकाश पुत्रान उदमी का 2/9 हिस्सा दर्ज है वह वादी की खरीद शुद्वा भूमि है जिसका बेचान लोकराम ने दिनांक 22.03.1980 को वादी के नाम से कर दिया था यह 2/9 हिस्सा वादी को बेचान की गई भूमि का है पोकर सिंह, ओमप्रकाश पुत्रान उदमीराम के 2/9 हिस्से को खातेदार कास्तकार वादी है और खातेदार घोषित होने का उत्तराधिकारी है रिकार्ड में पोकर सिंह, ओमप्रकाश पुत्रान उदमीराम का नाम हटाया जाकर उनके स्थान पर 2/9 हिस्से का खातेदार कास्तकार वादी घोषित होगा। पोकर सिंह, ओमप्रकाश पुत्रान उदमी की मृत्यु लोकराम से पूर्व हो गई थी जो नाऔलाद फौत हुऐ हैं व लोकराम की मृत्यु भी हो चुकी है जो नाऔलाद फौत हुआ है इसलिये पोकरसिंह व ओमप्रकाश का कोई वारिस नहीं है क्योंकि पोकर सिंह व ओमप्रकाश की मृत्यु के बाद लोकराम ही उनका वारिस था लोकराम स्वयं भी ना औलाद फौत हो गया । जब वादी अपने 2/9 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित होने के लिये यह घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर रहा है।

7. यह कि दावे के प्रतिवादीगण दावे में रिकार्डेड खातेदार है इसलिये उन्हे पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहता है।

8. यह कि दावे के लिये आधार विवाद वादी द्वारा गत ख.न.14 के 1 बीघा 16 बिस्वा रकबे का बेचान अपने नाम से दिनांक 22.03.1980 को करने से तथा गत ख.न. 14 से बने हाल ख.न. 100 व 102 में भू–प्रबंधक विभाग की गलती से पुनः ओमप्रकाश , पोकर सिंह पुत्रान उदमीराम का 2/9 हिस्सा दर्ज होने से पैदा हुआ । जिसकी जानकारी वादी को अब हुई व वादी ने समस्त रिकार्ड की नकल ली जो दिनांक 24.08.2018 व 17.09.2018 को प्राप्त होने से हुई। अतःदावा सावधि पेश है वैसे भी कानून में वाद घोषणात्मक हेतु कोई मियाद निर्धारित नहीं है।

9. यह कि विवादित गत ख.न. 14 जिसके हाल ख.न. 100 व 102 बने है वाके ग्राम ढाणी भालोठ तहसील बुहाना में स्थित है जो कि न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में आते हैं इसलिये न्यायालय श्रीमान को यह वाद सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

10. यह कि राज0 कास्तकारी अधि0 के तृतीय परिशिष्ठ में वाद घोषणात्मक हेतु एक रूपये कोर्ट फीस पर सहायक कलेक्टर के यहां पेश करना दर्ज है इसलिये एक रूप्ये कोर्ट फीस पर यह वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष

11. यह कि वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र संलग्न है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:36:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

(क) — कि वाके ग्राम ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0 स्थित गत ख.न. 14 से बने हाल ख.न. 100 व 102 में पोकरसिंह व ओमप्रकाश पुत्रान उदमी राम हिस्सा 2/9 का नाम हजफ किया जाकर वादी को उनके स्थान पर 2/9 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाये ।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई । प्रतिवादी सं0 2, 3 ने जबाब दावा मय प्रतिदावा पे । किया । प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जबाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 4 की ओर से श्री मनू यादव अधिवक्ता ने अन्डर टैकिग ली गई, तथा दौराने बहस अपना भी खाता विभाजन करने का निवेदन किया।

प्रतिवादी स. 2 व 3 की ओर से प्रतिदावा निम्नानुसार पेश किया है कि—

1. यह कि खाता सं. 107 की भूमि खसरा नं. 100 रकबा 1.49 हैं. ,ख.न. 102 रकबा 0.62 है. वाके ग्राम ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0 में स्थित है। जिसका सरकारी लगान 2.11 रू निर्धारित है।
2. यह कि ख.न. 100 रकबा 1.49 है. व ख.न. 102 रकबा 0.62 है. स्थित वाके ग्राम ढाणी भालोठ तहसील बुहाना में प्रतिवादी सं. 2 यादराम पुत्र प्रभूदयाल का 5/18 हिस्सा है। यानि 0.5811 है. भूमी का खातेदार दर्ज रिकार्ड है इतने रकबा पर मौके पर सड़क से लगे हुये खेत पर काबिज है। ख.न. 100 के सड़क के सहारे के हिससे पर कब्जाकाश्त है इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 3 सत्यपाल पुत्र श्योनारायण का भी ख.न. 100 व 102 में 5/18 हिस्सा है तथा इतने ही हिस्से का प्रतिवादी सं. 3 दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 3 का 0.5811 है. भूमि पर कब्जा काश्त हैं तथा भालोठ से जाने वाली सड़क के सहारे कब्जा काश्त है।
3. यह कि प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 को संयुक्त खाता होने के कारण कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है सरेरी सुविधाओं व लोन इत्यादि लेने में परेशानी है। इसलिये प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 अनने अपने हिस्से कस खाता अलहेदा अलग करवाना चाहते है इसलिये खाता विभाजन करवाने के लिये उनकी ओर से प्रतिदावा पेश किया जाता है।
4. यह कि ख.न.100 व 102 वाके ग्राम ढाणी भालोठ में स्थित है जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित है। इसलिये उपरेक्त दावा अदालत हाजा को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
5. यह कि दावा निर्धारित कोर्ट फीस एक रूप्या कोर्टफीस टिकट पर पेश है काफी है।

अतः प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 की ओर से प्रतिदावा पेश कर निवेदन है कि ग्राम ढाणी भालोठ तह0 बुहाना स्थित ख.न. 100 रकबा 1.49 है. तथा ख.न. 102 रकबा 0.62 है. किता 2 कुल रकबा 2.11 है. का खाता सं. 107 विभाजित किया जाकर प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 के 5/18 तथा 5/18 हिस्से का अलग से खाता कायम किया जावे।

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी [illegible]–75, विक्रय पत्र दिनांक 22.12.2008 मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी सं. 2023–27, [illegible] विक्रय पत्र दिनांक 22.03.1980 पेश किए गए। प्रतिवादी सं. 2, 3 की ओर से जमाबंदी सं. 20[illegible] पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:36:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

प्रतिवादी स. 1 की ओर से जबाब दावा पेश कर अनुतोष चाहा है कि वादी द्वारा चाहे गये अनुसार दावा डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 कोई आपत्ति नही है। विवादित भूमि की 1 बीधा 16 बिस्वा वादी के कब्जे कास्त में ही है और वादी सं. 1980 से विवादित भूमि पर काबिज कास्त है। इसलिए विवादित भूमि में से 1 बिघा 16 बिस्वा भूमि का खातेदार कास्त कार वादी को धोषित किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 को कोई आपत्ति नही है।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 15.01.2021 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 17.03.2021 को प्राप्त हुई ।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। कुर्रेजात रिर्पोट निर्देशानुसार प्राप्त हुई है। वकुलाय पक्षकारान ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमती जाहीर की। अतः न्यायालय मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश ::—

न्यायालय वाद वादी बाबत धोषणात्मक एवं प्रतिदावा बाबत खाता व लगान विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी भालोठ तहसील बुहाना स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 14 से बने हाल खसरा नम्बर 100 रकबा 1.49 है. खसरा नम्बर 102 रकबा 0.62 है., भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव ''प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '' अ—1 लगायत अ—4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के पक्ष में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 6/12/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:36:41 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 149 / 2018
निर्णय दिनांक:– 6/12/21

रामचन्द्र **बनाम** मनभावती आदि

दावा–घोषणात्मक अर्न्तगत धारा 88,राज0 टिनेन्सी एक्ट

वादी की ओर से **श्री विजयपाल यादव एडवोकेट** व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री मनोज टंडन अधिवक्ता तथा प्रतिवादी सं. 2, 3 की ओर से **श्री नरपालसिंह यादव एडवोकेट** की उपस्थिती मे इस वाद में आज तारीख 6/12/21 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत घोषणात्मक एवं प्रतिदावा बाबत खाता व लगान विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी भालोठ तहसील बुहाना स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 14 से बने हाल खसरा नम्बर 100 रकबा 1.49 है. खसरा नम्बर 102 रकबा 0.62 है., भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव " अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के पक्ष में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 6/12/21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला–झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:36:41 IST
Reason: SelfAttested